

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

45AA 587262

1110



दीनेश प्रसाद इमारी
एडलोकेट कंट्रोल
परम्परा/८
4-५-१५

निवाचनों का वालच नियम, 1961



प्राप्ति 26
(नियम वा वैधिक)

1979 4-4-14
८५८३७



निवाचनीक संस्था

23 मन्दसौर (समान्य)

(निवाचने के लिए देना वाला नाम)

लोकसभा (राजनीति के लिए निवाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समझ अन्यथा द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

गां - क

बानो बी ** पुरी/पुत्री/मही भूर स्त्री आयु ७० वर्ष, जो

मन्न ०५ भौता पट्टा मन्दसौर

(डाक का पूरा पता, लिखें) का/की निवासी हैं और उपरोक्त निवाचन से अन्यथा हैं लात्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता है/करती है शपथ पर चिन्हित कथन करता है/करती है।

(1) मैं स्वतन्त्र अनुशासी (+ राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अन्यथा/एक स्वतन्त्र अन्यथा के रूप में लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम 23 मन्दसौर लोकसभा 224 मन्दसौर (मध्य) क्रम संख्या पर प्रचलित है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ९७६५७४९७४२ है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) भागु नहीं है। मेरा सेशल मिश्न छात्रगत (सुदूर गोर्खाले) - नहीं है।

(4) राजस्व लेखा संरक्षणका (पैन) के बारे और लांघ का विवरणी फाईल करने की प्रारिथति :-

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अधिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
2	पति या पत्नी	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
3	आंशित - 1	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
4	आंशित - 2	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
5	आंशित - 3	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

4-4-14

योगेश प्रसाद दाम
राजहोकिट के पात्र
मन्दसौर (म.)

कानोंकी

(5) मैं ऐसे किसी लंबित गामले में दो वर्ष या अधिक का समयाल से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अग्रियुक्त नहीं हूँ जिसमें राहग अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप प्रिरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाधी / ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अग्रियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (गामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारबास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप प्रिरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला / प्रथम सूचना सिपोट संख्या / संख्याओं शहित संबंधित प्रतिस भाना / जिला / राज्य के पूर्ण व्यौरे	ज्ञानु नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संकेत निवरण जिनके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	ज्ञानु नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, गामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	ज्ञानु नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	ज्ञानु नहीं
(ङ)	तारीख (तारीख) जिनको आरोप प्रिरचित किए गए थे।	ज्ञानु नहीं
(च)	यथा सभी या कोई वकारवाही किसी राक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / है।	ज्ञानु नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (गामले) मेरे विरुद्ध लंबित है / हैं जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त गढ़ (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला, संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	ज्ञानु नहीं
(ख)	उन मामले के व्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का राक्षित विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	ज्ञानु नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए पाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	ज्ञानु नहीं

(6) युक्ते किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2), मैं निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारबास का दंडादेश दिया गया है / नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाधी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और सिद्धादेश किया गया है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

दोस्रा प्रसाद जन
राज्यकालीन & नाटक
प्रस्तुति (नं. 2)

का को. फी

सैन्यलिखित मामलों ने मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और व्यापकतय हाथ कार्रवास का दंडादेश दिया गया है।

(क)	उन मामले के बारे में आविष्कारियम् (आविष्कारियम्) की धारा (धारा ३५) और अपराध (अपराधों) का संबंध विवरण जिराको (जिनको) लिए सिद्धदोष (सिद्धदोष) गया है।	ज्ञानु नहीं
(ख)	व्यापकतय (व्यापकतय), का नाम, मामला संख्या और अदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखों)।	ज्ञानु नहीं
(ग)	उन मामले के बारे में आविष्कारियम् (आविष्कारियम्) की धारा (धारा ३५) और अपराध (अपराधों) का संबंध विवरण जिराको (जिनको) लिए सिद्धदोष (सिद्धदोष) गया है।	ज्ञानु नहीं
(घ)	व्यापकतय (व्यापकतय), का नाम, मामला संख्या और अदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखों)।	ज्ञानु नहीं
(घ)	व्यापकतय (व्यापकतय), का नाम, मामला संख्या और अदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखों)।	ज्ञानु नहीं

(7) मैं ने भी पति या पत्नी और सभी आश्रितों की विवरियाँ (जंगम और स्थावर आदि) के बारे में जीवन देता हूँ।

(अ) जंगम आस्तियों के बारे में

टिप्पणी 1 - संयुक्त सम्पत्ति की सीमा को उपर्युक्त करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 - जमा/विनिधान की दशा में रकम लेखा। रकम, जमा की तारीख, रकीम वैक/संरक्षा का नाम और शाखा खेहित बारे में लिए जाने हैं।

टिप्पणी 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बैंकों/शेयर-डिवेलरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में दर्शायें होने के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन सफल्लाकरण (5) में है।

टिप्पणी 5 - रकम सहित बारे में प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	रकम	परिया पर्सनलिपि	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नगदी	30,000	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के बारे (नियत जंगम, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संरक्षा और गैर देकानारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के प्राप्त जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम कंपनियों/ग्रासस्परिक निधियों और अन्य में बैंकों, डिवेलरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के बारे और रकम	लंगु नहीं	लंगु नहीं	लंगु नहीं	लंगु नहीं	
(iii)			लंगु नहीं	लंगु नहीं	लंगु नहीं	लंगु नहीं

4-4-14
टोकीन प्रसाद

का बोकी

| (iv) | राष्ट्रीय बंधत योजना, डाक बचत, वीमा पालिसीयों में विनिधान के बीचे और डाकघर या वीमा लंपनी में विनिधी पिसीय सिलहतों में विनिधान और रकम | लागू नहीं |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (v) | पिसीय व्यवित्र या निकाय जिसमें कर्म, कंपनी न्याय आदि को द्विए गए वैयक्तिक नट्टण/अधिम और बहुणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम | लागू नहीं |
| (vi) | मोटरसान/वायुयान/साट/पोता (ग्रेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का घर्ष और रकम) | लागू नहीं |
| (vii) | जेवरात, बुलियन और मूल्यांकन (वरत्तुरे) (शार और मूल्य का लागू नहीं) | लागू नहीं |
| (viii) | कोई अन्य आरितयों जैसे कि, दावों/हित का मूल्य | लागू नहीं |
| (ix) | समग्र कुल मूल्य | लागू नहीं |

(x) स्थावर आस्तियों के बीचे :

का.की.की

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीधा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्करतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम. सं.	विवरण	खण्ड-	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि-भूमि की अवारिथति (अवारिथतियों) सर्वेक्षण संख्याक (संख्यार)।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल गाप)।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षय विरासात में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	खाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत। (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सन्निगण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

का.की.की

का.की.की

द्वितीय प्रसंगाद इति ।
एड्डोकेट क.नोटरी
लॉर्य (१८५४)

(b) पै. लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायिता को शोध्यों के बारे नीचे देता है :-
 (टिप्पणी :- पृष्ठया बैक, संख्या, निकाय या व्यापिक का चप और उनमें प्रत्येक के रूपमें रकम के बोर्डों का मुद्रण विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	पत्र	पत्रिया पत्नी	आग्रित-1	आग्रित-2	आग्रित-3
(i)	बैक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति। पूरोद्धत लोगों से भिन्न किन्होंने अन्य व्यापिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग-	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
		ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
		ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
		ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य विधुत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य टेलिफोन / गोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य सरकारी परिवहन (वायुस्थल और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य ^{आय-कर शोध} ^{धनकर शोध} ^{सेवाकर शोध}	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
		ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
		ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
		ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
		ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
		ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
		ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
		ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है यदि हाँ तो अंतर्वित रकम और उन्न प्रधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं	ज्ञान नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के बारे :

(क) स्वयं

धर का कार्य

(ख) पत्रिया पत्नी

ज्ञान
नहीं

19/9/14
शोलाला प्रसाद दास
एम्यूलोफेट & ट्रैडर
मुमुक्षु दास

कानोपी

(10) मेरी शैक्षणिक अहिता नीचे दिए अनुसार है।

खासार शैक्षणिक योग्यतानुष्ठानों के
(प्रशाशनाच/डिल्लोग/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए उच्चतम प्रियालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे देते हुए विधालय/गहाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस कथे जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, जो बीजां दें।)

गांग - ख

(11) गांग - क के (1) से (10) तक में दिए गए बारे का उद्धरण।

सं.	अभ्यर्थी का नाम	१/ शीमती/ २ बाले छी ३/० नूर स्वा
२	डाक तथा पूरा पता	म.न. ५ भैत्या पहाड़, मन्दीर
३	निवाचन होत्र यी राख्या और नाम राख्या राख्य	२३ मन्दीर (म.प्र.)
४	उस राजनीतिक दल का चाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा राहतने लिखे)	२वंतपुर
५	(i) ऐसे लंबित नामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारबास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप कियित किए गए हैं।	प्रगु नहीं
६	(ii) ऐसे नामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सजान लिया है (जपर मद (i) उल्लिखित भागलों से भिन्न)	८४३ नहीं
७	ऐसे कुल नामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारबास रो और दंडित किया गया है। {लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधी के सिवाए }	ल्लासु नहीं

४-५-१५

द्वारा दिल्ली
राज्य विद्यालय
मन्दीर (म.प्र.)

का दो की

7		का स्थायी लेखा संख्या	गठ नौं जिसके लिए अधिग्राम आयकर विवरणी कालन की गई है	कुल दर्शित राशि		
	(क) अम्यर्थी	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु अहि	ज्ञानु नहीं		
	(ख) पति या पत्नी	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं		
	(ग) आश्रित	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं		
8	आस्तियां और दायित्वों के ब्वौरे (संपर्क में)					
	विवरण	स्वर्य	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.		ज्ञानग्राम आस्तियां (कुल मूल्य)	34000/-	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
ख.		स्थानवार आस्तियां	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
I.		स्वाजित स्थानवार संपत्ति वाले क्रय नीगत की	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
II.		क्रय के पश्चात रथावर संपत्ति की पिकास/संनिधान लागत यदि लागे हों।	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
III.		अनुग्रामित वर्तमान बाजार कीमत	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
		(क) स्वाजित आस्तियां (कुल मूल्य)	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
9		दायित्व	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
	(I)	सरकारी शोध्य (कुल)	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
	(II).	वैक/वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ब्रण (कुल)	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
	(I)	सरकारी शोध्य (कुल)	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं
	(II).	वैक/वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ब्रण (कुल)	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं	ज्ञानु नहीं

जीवन लाद
निष्ठा विश्वास
विजय

द्वाना दी

जीवन लाद
निष्ठा विश्वास
विजय

१)	उच्चतर शोकेक आहेता (प्रगाणणांत्र/डिल्होगा/डिगी/पातळां के; प्रौढ प्रारूप का उल्लेख करते हैं उच्चतर विद्यालय/विश्वविद्यालय/ शिक्षा, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्षे (उल्लेख पठवकरम पूरा किया गया था, का वारीरे दे)	एम्प्रॉ अन्नपूर्ण	ज्ञानंही लागूनही	ज्ञानंही
----	--	----------------------	---------------------	----------

२. रोक्षापन :

दावो दी

मेरे ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सुधारणा और धोपणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय - वर्तु
मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य ही हाहो है और इसकां कोई भाग निश्चा नहीं है तथा इसमें से कोई
भी ताजिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मेरे यह और प्रोगणा करता हूं कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग का और यह की मद ५ जून ६ उल्लिखित दोषसिद्धि का भागला या लंबित भागले से भिन्न कोई
दोषसिद्धि का भागला या लंबित भागला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे अंशिक्षों के पास ऊपर भाग की मद ७ और ८ तथा भाग यह की मद ८, ९ और १० में
उल्लिखित आसित या दायित्व से भिन्न कोई आसित या दायित्व नहीं है।

आज तारीख ४/४/१५ को सत्यापित किया गया।

दावो दी

टिप्पण १ - शपथ - पत्र नामांकन फार्म करने के अंतिम दिन को ३.०० बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण २ - पत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रधान वर्ग नजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ
की जाना चाहिये।

टिप्पण ३ - सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई रक्त खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिये कोई
जानकारी नहीं है तो, यथारिति "शूच्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण ४ - शपथ - पत्र दर्कित या सूपाद्य रूप से साक नाक लिखित होना चाहिए।

दावो दी

कागजी की दृष्टि ४-४-१५ वरे १५
४-४-१५ ३-८-१५
४-४-१५ ३-८-१५
यांगोन प्रशासन दृष्टि ४-४-१५
प्रशासन दृष्टि ४-४-१५
प्रशासन दृष्टि ४-४-१५